

प्रेषक,

संख्या- 395 /एक-10-2019

सुधीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक,
पीएसी मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 2019

विषय- आपदा न्यूनीकरण के सम्बन्ध में पीएसी की बाढ़ राहत कम्पनियों द्वारा ग्रामीण जनों को प्रशिक्षित कराये जाने हेतु धनराशि आवंटित/स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पीएसी-तीन-809/2019 दिनांक 30 मई, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपदा न्यूनीकरण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु धनराशि रु० 17.00 लाख की मांग की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में "प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जनपदों के 10 गांवों के 20-20 व्यक्तियों को आपदा से निपटने के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु रु० 17.00 लाख (रुपये सत्रह लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये जाने वाले कार्य राहत आयुक्त संगठन/उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2020 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2020 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नं० आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

-2-

4- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।


(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/राजस्व अनुभाग-6/11
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सेनानायक,
राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ),
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक 20 अगस्त, 2019

विषय- बाढ़ प्रभावित जनपदों में आपदा से निपटने हेतु नवयुवकों तथा 17 जनपदों में होमगाइर्स के जवानों को मोटरबोट के संचालन तथा राहत एवं बचाव कार्य से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु धनराशि आवंटित/स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने समसंख्यक पत्र संख्या-व-15/2019 दिनांक 20 जून, 2019 (दो पत्रों) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपदा न्यूनीकरण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु धनराशि रु० 09.00 लाख की मांग की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में "प्रदेश में बाढ़ प्रभावित अतिसंवेदनशील जनपदों में आपदा से निपटने के लिए प्रदेश के 10 जनपदों के 30-30 नवयुवकों को 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन एवं 17 जनपदों में होमगाइर्स के जवानों को मोटरबोट के संचालन तथा राहत एवं बचाव कार्य से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु रु० 9.00 लाख (रुपये नौ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये जाने वाले कार्य राहत आयुक्त संगठन/उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कराया जायेगा।
- स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
- समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2020 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2020 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

-2-

- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
 - समस्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी कराई जायेगी तथा प्रतिभागियों के नाम/पदनाम, जिला/मोबाइल नं0 आदि के साथ सम्पूर्ण विवरण शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।
- 4- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- 5- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।


(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
5. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5/राजस्व अनुभाग-6/11
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।